

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ਚੈਂਸ 1930 (ਆ0)

(सं0 पटना 204)

पटना, मंगलवार 1 अप्रोल, 2008

वणिज्य-कर विमाग

अधिसूचनाएं 31 मार्च, 2008

एस0 ओ0-38, दिनांक 1 अप्रील, 2008- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवंहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुसूचित मालों के प्रवेश पर, जिस दर से एवं जिन शर्तों के अध्यधीन कर उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया जायेगा, विनिर्दिष्ट करते हैं।

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत में)	निबन्धन एवं शर्ता)
1	तम्बाक्	8	बिहार राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में अन्य अथवा बिहार राज्य के बाहर के किसी स्थान से बिहार राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर।
2	तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुटखा एवं अन्य उसी तरह के उत्पाद, बीड़ी को छोड़ कर, शामिल है।	16	बिहार के बाहर के किसी स्थान से बिहार के किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर।
3	भारत में विनिर्मित विदेशी शराब एवं विदेश में विनिर्मित		
	विदेशी शराब।	16	तदैव
4	1समेंट	12	तदैव
5	कूड ऑयल	2	तदैव
6	प्रत्येक प्रकार के पेंट, वारनिस एवं सभी प्रकार के पेंटर की		
	सामग्रियाँ।	8	त्तदैय
7	कोल एवं सभी प्रकार के रूप में कोक	4	तदैव

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत	में)	निबन्धन एवं शर्त्त	
8	प्रत्येक प्रकार के कागज जिसमें एक्सरसाईज बुक्स, रही कागज, पेस्ट बोर्ड, कार्ड बोर्ड, मिल बोर्ड, हार्ड बोर्ड, कार्टीज कागज, पैकिंग कागज, कागज के झोले.				
	कार्ट्स, कार्ड्स, सादा रजिस्टर, नोट बुक, लिफाफा, लेबल, लेटर पैंड एवं लेखन हेतु प्रयुक्त टैब्लेट्स				
9	तथा फ्लैट फाईल्स शामिल है। कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, यू० पी० एस०, सी० भी० टी०, उनके घटक तथा उप—साधन जिसमें	5		तदैव	
	कम्प्यूटर केबुल्स, स्कैर्नस तथा मॉडम शामिल है।	4		तदैव	
10	एयर कंडिशनरस, एयर कुलर्स एवं एयर सरकुलेर्टस	5		तदैव	
11	संगमरमर, संगमरमर का दाना एवं टाईल्स, ग्रेनाईट एवं				
	सेरामिक तथा ग्लेजड टाईल्स।	8		तदैव	
12	स्टील पाईप, प्लास्टिक एवं पी०मी०सी० पाईप्स जिसमें				
	प्लास्टिक सेल्यूलाय, बेकेलाइट, इसी प्रकार की				
	सामग्रियों से विनिर्मित सामग्रियाँ, प्लास्टिक सीट्स				
	एवं फैब्रिक्स् तथा इसी प्रकार सीट या फैब्रिक्स से				
	विनिर्मित वस्तुएँ पी०भी०सी०, एच०डी०पी०ई०, ग्रेन्यूल्स				
	एवं इसी प्रकार के अन्य कच्चे माल शामिल है				
	परन्तु जिसमें प्लास्टिक एवं उसी प्रकार की सामग्रियों				
	से बने भीठआई०पी०, एरिस्टोक्रेट, सफारी तथा इसी				
	प्रकार की सामग्रियों से बने मोल्डेड सूट्केश या वैनाइटी केस शामिल नहीं है।			-4-	
13	आयरण एवं स्टील।	4		त्तदैव	
14	हल्के एवं भारी मोटर वाहन जिसमें द्विचक्र वाहन, त्रिचक्र	4		तदैव	
	वाहन एवं ट्रकों तथा बसों के चेसिस् शामिल है				
	परन्तु जिसमें ट्रैक्टर शामिल नहीं हैं।	8		तदैव	
15	इमारती लकड़ियाँ, प्लाई उड, प्लाई बोर्ड, सनमाहंका,			444	
	फोरमाईका जिनमें अलंकृत लेमिनेशन एवं लेमिनेटेड				
	शीट्स शामिल हैं।	8		तदैव	
16	सेनेटरी के सामान एवं फिटिंग्स	8		तदैव	
17	बिजली के समान, इम्पलीमेंट्स, अपरेटर्स एवं अप्लाएसेंस जिनमें इलेक्ट्रीकल फिटिंग्स, ट्रांसफॉर्मर, इनमर्टर, इन्सुलेटर, इलेक्ट्रीकल अर्थ वेयर एवं पोरसलीन,				
	टेस्टींग तथा मेंटेनेन्स इक्यूपमेंटस, व्यालर, प्लांट. डीजल जेनेरेटींग सेट्स, बैट्री एवं बैट्री चार्जर,				
	स्टील टावर्स, टावर पार्टस, उनमें प्रयुक्त बोल्ट्स एवं नट्स, कॉन्डक्टर्स, ग्लवैनाईज्ड स्टील अर्थ				
	वायर, लाईटींग एरेस्टर, कॉन्ट्रोल एवं रीले पैनल्स, लाईटींग इक्यूपमेंट्स, पी० भी०सी० केबुल, पावर				
	लाइन कम्यूनिकेशन कैरियर इक्यूपमेंट्स तथा बिजली के उत्पादन, विपणन एवं प्रयोग हेतु वांछित सभी			· .	
	मशीनरी, डिवाईस तथा वस्तुएँ शामिल हैं।	8		तदैव	
18	वनस्पति एवं अन्य हाईड्रोजेनेटेड ऑयल।	5		तदैव	

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत	में)	निबन्धन एवं शर्ता
19	टेलीफोन सेट्स, उनके स्पेयर पार्ट्स तधा			2
	एक्सेस्रीज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन			
	इक्यूपमेंट्स/एक्सचेंजेज, वायरलेस तथा			
	उनके घंटक एवं उप-साधन शामिल है,			
	सेल्यूलर रेडियो इक्यूपमेंट, टेलीफोन यंत्र,			
	ट्रांसमिशन इक्यूपमेंट, बैट्रीज, पावर प्लांट्स,			
	इनभरटर्स्, केबुल एवं तार, बस बार,			
	एम०डी०एफ०, डी०डी०एफ०, जी०डी० ट्यूब्स्			
	टूल्स्, इन्सटॉलेशन मेटेरियल्स, प्रत्येक प्रकार			
	के कम्यूनिकेशन यंत्र, उनके यंत्र तथा			
	उप-साधन टेस्टर्स माइक्रोफाइकी /			
	माइक्रोफिल्म रीडर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर,			
	प्रिंटेड सर्किट एसेम्बलीज, मैग्जींस, केबुल			
	एसेम्बलीज, दूरसंचार सामग्रियाँ एवं उपकरण			
	तथा उनके घटक, उप-साधन एवं			
	कमपोनेन्ट पार्ट्स, माइक्रोवेभ रेडियो			
	इक्यूपमेंट, एस०डी०एस० एवं अन्य ट्रांसिमशन			
	इक्यूपमेंट्स, ट्रांसमिशन तार एवं टावर्स			
	एम0एस0सी0 बेस ट्रांससीभर स्टेशन, बेस			
	स्टेशन कॉन्ट्रोलर, रेडियो फिक्वेंसी एवं			
	प्लानिंग यंत्र, यूनिफाईंड मैसेजिंग सिस्टम,			5
	बिलींग सिस्टम, प्रत्येक प्रकार के नेटवर्क			
	मैनेजमेंट सिस्टम, एयर कंडिशनर, जेनेरेटर			
	सेट्स, प्री-इंजिनियर्ड बिल्डिंग उनके घटक			
	एवं उप-साधन, मोबाईल फोन / हैण्ड सेट			
	उनके घटक तथा उप-साधन, सीम कार्डस,			
	स्क्रैच कार्डस, यूनिगर्सल मल्टीप्लेक्सर, उनके			
	घटक तथा उप—साधन, स्पीलीसिंग मशीन,			
	उनके घटक तथा उप—साधन।	8		तदैव
20	स्टोन चिप्स, स्टोन बोल्डर्स एवं स्टोन बैलेस्ड।	4		तदैव
21	क्रम संख्या 4,11,13,17 एवं 20 में विनिर्दिष्ट	-		1144
	सामग्रियों को छोड़कर प्रत्येक प्रकार के			
	बिल्डिंग मेटेरियल्स।	8		तदैव
22	डीजल एवं पेट्रोल	16		तदैव
23	क्रम संख्या 22 एवं 26 में विनिर्दिष्ट सामग्रियों	10		1144
	को छोड़कर अन्य प्रकार की पेट्रोलियम			
	सामग्रियां।	. 8		तदैव
24	ट्रैक्टर	5		तदैव
25	धान, चावल, एवं गेहूं	4		तदेव
26	घरेलु रसोई गैस, पेट्रोलियम कोक और विदुमेंन	4		तदेव

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0-बिक्री-कर/सं0-07/2008), बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शुभकीर्त्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के प्रधान सचिव।

31 मार्च 2008

एस0 ओ0 39—एस0 ओ0 38, दिनांक 1 अप्रील 2008 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका सं0-ब्रिकी-कर / सं0-07 / 2008) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शुभकीर्त्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के प्रधान सचिव।

The 31st march 2008

S.O 38, dated the 1st April 2008- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No. 16 of 1993) the Governor of Bihar is pleased to specify the rates at which and the conditions and restrictions subject to which tax shall be charged and collected on the entry of Scheduled Goods.

SI. No.	Description of goods	Rate (in Percent)	Conditions and restrictions.
1	Tobacco.	8	Entry of goods into a local area in Bihar State from another such area or from any place outside Bihar State.
2	Tobacco products including Gutkha and		
	other like products but excluding Biris.	16	Do
3	Indian made Foreign liquor and foreign		Entry of goods into a local
	made foreign liquor.	16	area in Bihar from any
			place outside Bihar.
4	Cement.	12	Do
5	Crude Oil.	2	Do
6	All types of paints, varnishes and all		
	painter's material.	8	Do
7	Coal and Coke in all its form.	4	Do
8	Paper of all kinds including exercise books, Waste paper, Paste board, Card board, Mill board, Hard board, boxes made of hard board, cartridge paper, packing paper, paper bags, cartoons,		
	cards, blank registers, note book, envelopes, labels, letter pads, writing tablets and flat files.	5	Do
9	Computer hardware and software, printers, UPS, CVT, their accessories and spare parts including computer cables,		Po.
10	scanners and Modems.	4	Do
10	Air conditioners, Air coolers and Air circulators.	5	Do
11	Marble, marble chips and marble tiles,		
	granite and ceramic and glazed tiles.	8	Do

SI. No.	Description of goods	Rate (in Percent)	Conditions and restrictions.
12	Steel pipes, plastic and PVC pipes including		
	plastic celluloid, bakelite, goods made of		
	similar substance (excluding moulded		
	suitcase made of plastic and similar		
	substance such VIP, Aristocrat, Safari		
	and similar articles and vanity cases),		
	plastics sheets and fabrics and articles		
	made of such sheets and fabrics, PVC,		
3	HDPE, granules and other raw materials. Iron & Steel.	4	Do
4	All type of motor vehicles including two	4	Do
75	wheelers, three wheelers and chassis of		
	truck and buses but excluding tractors.	8	D.
5	Timber, Plywood, Ply board, Sun mica, fore	0	Do
	mica, including decorative lamination and		
	laminated sheets.	8	Do
6	Sanitary goods and fittings.	8	Do Do
7	Electrical goods, implements, apparatus and	o	Do
	appliances including electrical fittings,		
	transformer, invertors, insulators,		
	electrical earthenware and porcelain,		
	testing and maintenance equipments,		
	boilers, plants, diesel generating sets,		
	battery and battery charger, steel towers,		
	tower parts, bolt and nuts used therein,		
	conductors, galvanized steel earth wire,		
	lighting arrester, control and relay panels,		
	lighting equipments, PVC cable, power		
	line communication carrier equipments		
	and all other machineries, devices, items		
	and fittings used in generation, distribution		
0	and use of electricity.	8	Do
8	Vanaspati and other Hydrogenated Oil.	5	Do
9	Telephone sets, their spare parts and		
	accessories including all types of		
	Electronic Telephone Equipments/		
	Exchanges including wireless and parts		
	and accessories thereof, Cellular Radio		
	Equipment, Telephone instruments,		
	Transmission Equipments, Batteries, Power Plants, Invertors, all types of		
	Communication instruments, Equipments		
	and Accessories thereof, Testers,		
	Microfiche/microfilm reader, Compact		
	Disc Reader, Printed Circuit Assemblies,		
	Magazines, Cables Assemblies,		
	Telecommunication goods and		
	equipments, their spare parts, component		

SI. No.	Description of goods	Rate (in Percent)	Conditions and restrictions.
	parts and accessories. Microwave Radio		
	Equipment, Synchronous Digital		
	Hierarchy (SDH) and other transmission		
	equipment, Transmission Wires and		
	Towers, Mobile Switching Centre (MSC),		
	Base Transceiver Station (BTS), Base		
	Station Controller (BSC), Radio		
	Frequency (RF) and Planning Tools,		
	Unified Messaging System (UMS),		
	Billing System, Various type of Network		
	Management Systems, Air Conditioners,		
	Generators Sets, Server, Modem,		
	Routers, Datacom (DNIP) Equipment		
	and parts and accessories thereof, Mobile		
	Phones/Hand Set and parts and		
	accessories thereof, Sim Cards, Scratch		
	Cards, Universal Multi plexer (UMUX) and parts and accessories thereof, Splicing		
	Machine and parts and accessories		
	thereof.	8	D.
20.	Stone chips, Stone bolders and Stone ballast.	4	Do
21.	All types building materials other than those		Do
	specified under serial number 4, 11, 13,		
	17 and 20.	8	Do
22.	Diesel and Petrol.	16	Do
23.	All other petroleum products except those		100
	specified in Sl. No. 22 & 26	8	Do
24.	Tractors.	5	Do
25.	Paddy, Wheat and Rice	4	Do
26.	Domestic cooking gas, petroleum coke and		FE.V.
	bitumen	4	Do

2. This notification shall come into force with effect from date of its issue.

[No. Bikri-kar/Sanshodhan-07/2008]
By order of the Governor of Bihar,
SUBHAKIRTI MAJUMDAR,

Commissioner-cum-Principal Secretary to Govt.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण), 204-571+1000 डी॰टी॰पी॰।-